



राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

क्रमांक : ले.वि./एजी/2026-27/01

दिनांक : 06/04/2026

मीटिंग नोटिस

सिण्डीकेट बैठक दिनांक 25.04.2025 के आईटम संख्या 04 एवं वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.03.2025 में लिये गये निर्णय के अनुसरण में महालेखाकार, स्थानीय निधि अंकेक्षण, निरीक्षण की विशेष जांच एवं विभागीय आन्तरिक अंकेक्षण जांच प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों की समीक्षा हेतु कुलसचिव की अध्यक्षता में दिनांक 09.04.2026 को दोपहर 12.30 बजे कुलपति सचिवालय के सीनेट हॉल में आयोजित की जावेगी। संबंधित प्राचार्य/निदेशक/विभागाध्यक्ष मय विज्ञ कार्मिक उक्त प्रतिवेदनों की संबंधित अनुपालना को लेकर बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें ताकि लम्बित प्रकरणों की समीक्षा की जा सकें।

—६०—


वित्त नियंत्रक एवं
वित्तीय सलाहकार

क्रमांक : ले.वि./एजी/2026-27/02-51

दिनांक : 06/04/2026

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं बैठक में भाग लेने हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक इकाईयों, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. प्राचार्य, महाराजा/महारानी/कॉमर्स/राजस्थान/विधि महाविद्यालय (प्रातः एवं सांय), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. छात्र कल्याण अधिष्ठाता, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. मुख्य आवासाधिकारी/आवासाधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. विश्वविद्यालय अभियंता, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, रा.वि.वि. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
10. उपकुलसचिव, सामान्य प्रशासन अनुभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय को लेख है कि उक्त बैठक में जलपान की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें।
11. रक्षित पत्रावली।

 SL.
उप-कुलसचिव
(लेखा एवं वित्त) 6/4/26

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

महालेखाकार के बकाया पैराज की विभागावार स्थिति :-

9.	वित्त-II विश्वविद्यालय अभियंता	Part-II (A) Para- 4(1to 9)	2,3,4,20		19 6,13		15,16,17,1 9,57,62 (i),67(4)		13,16,19 41(8,9,10, 11)	5,6	3, 4(I),4 (II),8 (V)		5(2), II ब,12,22)		11,16, 26,35,		16,17, 19,20, 21	-	2,15,	-		अप्राप्त
10.	जीएडी	Part-II (A) Para-3 (1 to 3, 5 to 8), Part-II (A) Para-3 (c) (ii), Part-II (B) Para-2, Part-II (B) Para-2	7,10	4,6	11,12,1 4,26 (2)	5	3,42,57	4	13,17, 35,41(8-1 1)		2,14,21				24	-	21		2		10	अप्राप्त
11.	अकेडमिक - I		-	-			26			-		-						-				प्राप्त
12.	ग्रन्ट्स		-	-	-	-	-	-	8,41(i)	-	-	-	-	-	5(य), 5(स),1 5	-	-	-	-	-	-	प्राप्त
13.	अकेडमिक - II		5,9,13,14		4	3	22	2	1,4,12,15,3 1,41(11)	-	-	-	-	-	2(I,II)	-	6	-	-	-	1,2	प्राप्त
14.	केन्द्रीय पुस्तकालय	Part-II (A) Para-4 (1)	16 अ ब, 23 अ ब,	4			48,55		21		6(I,II)											01 अप्राप्त
15.	प्लान एण्ड प्रोजेक्ट	Part-II (A) Para-6 (1 to 2)	21 अ,द		1,2,7,8, 9		53,54		41(1)													अप्राप्त
16.	राजस्थान कॉलेज		12 (अ), 15 (अ)		16,17		7,40(1),41 (1), 51,52, 61,65,		2(य),19 21,28, 30		8 (IV)				5(अ),9 21,22, 33	-						12 प्राप्त 11 अप्राप्त

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के बकाया पैराज की विभागावार स्थिति :-

क्र. सं.	वर्ष और कुल आक्षेप विभाग का नाम 71	2019-20 17	2020-21 31	2021-22 23	2022-24	कुल आक्षेप
1	अतिरिक्त कुलसचिव	1 ब-4	II-11,12(2)	II-11,21	1,20,21,22,23,26,32,	12 (4 प्राप्त)
2	लेखा एवं वित्त-I	1 ब-1,3, II-3,8, III-1,	II-1,2,3,4,6,8,9,12,15, 17,18,19, III-1,	II-1,2,3,4,6,9,12,20,	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 24,27,30,31,35,37,38, 41	44
3	लेखा एवं वित्त-II	—	II-6,	II-8,	1,29,	4
4	विश्वविद्यालय अभियंता कार्यालय	1-ब-5,6,	II-7,10, 6 III-6,	II-10,	1,11,12,13,14,15,16, 17,18,33,	17
5	जीएडी	1-ब-7 II-6, IV-2,3,	II-6,7,13,14,15,16,20, III-6, IV-1,2,3,	II-6,7,15,17,18,19, भाग II ब (भण्डार)- 1,2,3,	1,19,34,39,	28
6	लीगल सैल	—	—	—	10, (पार्ट-II बी)	1
7	आर.टी.आई	—	—	—	26	1
8	एच.आर.डी.सी	—	—	—	—	0
9	परीक्षा नियंत्रक कार्यालय	—	—	II-18	1,25,28,40,	5 (02 प्राप्त)
10	शोध अनुभाग	—	—	II-20	—	1
11	पीआरओ ऑफिस	II-8	II-9	—	—	2
12	पीपी अनुभाग	—	II-6	—	—	1
13	उद्यान विभाग	—	—	—	36	1 प्राप्त

विशेष जांच प्रतिवेदन

1.	निरीक्षण विभाग, राजस्थान	योग
2 / 90-91		
	I - House Building Advance	1,2,3,5,6,7,10 to 17, 14
	II - PF	1,2,3, 3
	III - Staff Welfare Fund	2 to 12,13,14, 13
9(1) / 97-98		
	I - सामान्य प्रशासन अनुभाग	भाग II - 1,3,4,5,6,7,9,10,11,14, 17 भाग III - 17,18,20,21,22,24,25,
9(2) / 97-98		
	I - प्राणी शास्त्र विभाग	भाग ब - 6,7,8,21,22,25,26, 7 (प्राप्त)
9(3) / 97-98		
	I - रसायन शास्त्र विभाग	4,9,20, 3 - (प्राप्त)
9(4) / 97-98		
	I - महाराजा महाविद्यालय	2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,16, 25- (प्राप्त) 26,28,35,37,38,39,40,41,42,43, 45,46,
9(5) / 97-98		
	I - महारानी महाविद्यालय	भाग II - 8,9,12,13,15,17,20,21, 10 23,24,
9(6) / 97-98		
	संस्थापन II संस्थापन I लेखा एवं वित्त I विश्वविद्यालय अभियंता शोध अनुभाग एडवांस अनुभाग अंकेक्षण विभाग	2,3,4, 4 - (प्राप्त) 5(2) 6 भाग अ (2, 5,6,7,8,11,12,13) 8 9 (1,3,4,8), 10(1 To 5),
2.	स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान	योग
(A) मानदेय		
	I - संस्थापन II / लेखा / परीक्षा	3 से 10,14,17,23,24,26,27, 14
(B) अनियमित वेतनमान निर्धारण		
	I - संस्थापन II	1 से 20, 20